



बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
संकल्प

संचिका संख्या-12/प०08-06/2011
(SHSB/PM/249/2009/P-V)

विषय: राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए अधिसूचित आवश्यक औषधियों की सूची (EDL) में एड्स रोग तथा अवसरवादी संक्रमण (Opportunistic Infection) के उपचार की औषधियों का समावेशन।

सरकार की प्राथमिकता एवं राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दृष्टिपथ में रखते हुये National List of Essential Medicine (NLEM) एवं Indian Public Health Standards (IPHS) के आधार पर संशोधित आवश्यक औषधि की सूची (EDL) को स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या 12/प०-08-06/2011-1729(12), दिनांक 08.12.2022 के द्वारा अधिसूचित किया गया है। इस संकल्प से निर्णित आवश्यक औषधियों की सूची (EDL) में 612 Drug Formulations हैं।

2. एड्स रोग तथा अवसरवादी संक्रमण (Opportunistic Infection) के उपचार हेतु बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा प्रस्तावित औषधियों को आवश्यक औषधि की सूची (EDL) में शामिल करने हेतु निदेशक प्रमुख (नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवायें की अध्यक्षता में टेक्निकल कोर कमिटी के सदस्यों तथा अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन के पदाधिकारियों की दिनांक 28.11.2023 एवं 01.12.2023 को बैठक आयोजित हुई, जिसमें निम्न तालिका में उल्लेखित 23 औषधियों को आवश्यक औषधि की सूची (EDL) में शामिल करने की अनुशंसा की गयी।

1	Abacavir 600mg + Lamivudine 300mg
2	Dolutegravir 50mg
3	Tenofovir + Lamivudine + Dolutegravir (TLD)(300 mg+300 mg+50 mg)
4	Zidovudine 300 mg + Lamivudine 150 mg Tab.
5	Abacavir 60mg + Lamivudine 30mg tablets
6	Dolutegravir 10mg
7	Lopinavir 40mg + Ritonavir 10mg tablets
8	Darunavir 600mg
9	Ritonavir 100mg tablets
10	Tab Fluconazole 400 mg
11	Tab Clindamycin 300 mg
12	Buprenorphine 0.4 mg
13	Buprenorphine 2 mg Sublingual
14	Buprenorphine 02 mg + Naloxone 0.5 mg
15	Buprenorphine 0.4 mg + Naloxone 0.1 mg
16	Zidovudine Oral Suspension/Syrup 50 mg/5ml
17	Injection Benzathine Penicillin (2.4 MU)
18	Tablet Abacavir 60 mg
19	Tablet Abacavir 300 mg
20	Tablet Lamivudine 100 mg
21	Tablet Lamivudine 150 mg
22	Tablet Desmopressin 0.2mg
23	Desmopressin Nasal Spray 0.01% w/v

3. टेक्निकल कोर कमिटी के उपर्युक्त अनुशंसित 23 प्रकार की औषधियों को राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभागीय संकल्प ज्ञापांक 12/प०08-06/2011/1729(12), दिनांक 08.12.2022 द्वारा अधिसूचित आवश्यक औषधि की सूची (EDL) में शामिल करने का निर्णय लिया जाता है।

4. उक्त 23 प्रकार की औषधियाँ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं जिला अस्पताल के मुख्यतः Anti Retroviral Therapy Centre-ART Centre पर उपलब्ध रहेंगी। इन औषधियों का आवश्यकतानुसार उपयोग उक्त अस्पताल के वाह्य रोगी कक्ष (OPD) में भी मरीज हित में किया जा सकेगा।
5. औषधियों को उनके लेवल पर अंकित दिशा-निर्देश एवं औषधि तथा अंगराग नियमावली की Schedule 'P' में उल्लेखित भंडारण शर्त (Storage condition) के अनुसार समुचित तापक्रम पर भंडारित किया जाए।
6. सरकारी अस्पतालों हेतु अधिसूचित आवश्यक औषधि की सूची (EDL) में शामिल उपर्युक्त 23 प्रकार की औषधियों का दर अनुबंध बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना (BMSICL) द्वारा किया जायेगा तथा इन औषधियों की सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति श्रृंखला बनाये रखने की सुदृढ़ व्यवस्था BMSICL के स्तर से की जायेगी।
7. BMSICL के स्तर से औषधियों का दर अनुबंध नहीं रहने की स्थिति में अथवा दर अनुबंध के बावजूद अनुपलब्धता के कारण आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में BMSICL द्वारा तत्क्षण उक्त औषधियों का Non Availability Certificate जिलों को निर्गत किया जायेगा। सरकारी अस्पतालों में औषधियों की निरंतर उपलब्धता बनाये रखने हेतु BMSICL के द्वारा जारी किये गये Non Availability Certificate के आधार पर सिविल सर्जन/मेडिकल कॉलेज द्वारा बिहार वित्त नियमावली एवं विभागीय क्रय अनुदेशों का अनुपालन करते हुये स्थानीय स्तर पर औषधियों का क्रय किया जायेगा।
8. BMSICL से औषधियों की आपूर्ति प्राप्त करने हेतु प्रत्येक तिमाही में निर्धारित अवधि तक स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा DVDMS के माध्यम से Indent किया जायेगा। Indent करने के पूर्व औषधियों की आवश्यकता का आकलन विगत वर्ष में औषधियों की हुई खपत के आधार पर संबंधित स्वास्थ्य संस्थान के उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
9. टेक्निकल कोर कमिटी की अनुशंसा के आलोक में EDL में शामिल किये गये उपर्युक्त आवश्यक औषधियों का मानक "The standards of quality of drugs included in Essential Drug List (EDL) shall be as set out in the Second Schedule to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and relevant provisions of Drugs and Cosmetics Rules, 1945 thereunder" के अनुरूप होगा।
10. स्वास्थ्य विभागीय संकल्प ज्ञापांक 12/प०08-06/2011/1729(12), दिनांक 08.12.2022 में निहित अन्य शर्तें एवं अनुदेश यथावत् रहेंगे।

आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र की आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार (SHSB), बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (BMSICL) तथा स्वास्थ्य विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, सभी जिला पदाधिकारियों, सिविल सर्जनों एवं जिला स्वास्थ्य समितियों को दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक 12/प०08-06/2011/...../पटना, दिनांक 09.02.2024

(SHSB/PM/249/2009/P-V)

प्रतिलिपि- ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापक 12/प०08-06/2011/169(2)/पटना, दिनांक 09.02.2024

(SHSB/PM/249/2009/P-V)

प्रतिलिपि-

- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षक), बिहार वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- भारत के औषधि महानियंत्रक, भारत सरकार, नई दिल्ली/केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, भारत सरकार, FDA भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- माननीय उप मुख्य (स्वास्थ्य) मंत्री के आप्त सचिव, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी प्राचार्य, अधीक्षक एवं विभागाध्यक्ष, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी अधीक्षक/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी निदेशक/अधीक्षक, अतिविशिष्ट अस्पताल/सरकारी स्वास्थ्य संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सिस्टम एनालिस्ट-सह-डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को विभागीय/समिति के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव